उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य,उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003) को पश्चिमी सिंहभूम जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 रॉची दिनांक 09.05.2013 एवं दिनांक 25.02. 2014 को आयोजित जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, पश्चिमी सिंहभूम की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Level Tobacco Control Coordination Committee (DLCC)** का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होगें :

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति प० सिंहभूम	:	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक प० सिंहभूम	:	सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चि० पदा०, प० सिंहभूम	:	सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था)–सह–विशेष नोडल पदा०,तंबाकू नियंत्रण प० सिंहभूम	:	सदस्य–सह–मुख्य समन्वयक
5. उप–विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम	:	सदस्य
6. अनुमण्डल पदाधिकारी/सदर चाईबासा/चक्रधरपुर/जगन्नाथपुर प० सिंहभूम	:	सदस्य
7. जिला नोडल पदा०, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम प० सिंहभूम	:	सदस्य–सह–समन्वय
8. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी प० सिंहभूम	:	सदस्य
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी प० सिंहभूम	:	सदस्य
10. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी प० सिंहभूम	:	सदस्य
11. जिला परिवहन पदाधिकारी प० सिंहभूम	:	सदस्य
12. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प० सिंहभूम	:	सदस्य
13. औषधि निरीक्षक पश्चिमी सिंहभूम	:	सदस्य
14. अध्यक्ष, रोटरी क्लब, पश्चिमी सिंहभूम	:	सदस्य
15. प्राचार्य जिला स्कूल ,पश्चिमी सिंहभूम	:	सदस्य
16. प्राचार्य महिला कॉलेज, पश्चिमी सिंहभूम	:	सदस्य
17. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झींकपानी प० सिंहभूम	:	सदस्य
18. सदस्य प्रखण्ड विकास समिति झींकपानी (श्री प्रशांत कुमार सेट)	:	सदस्य
19. प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग महिला कॉलेज चाईबासा	:	सदस्य
20. प्राध्यापक फिलोस्फी टाटा कॉलेज चाईबासा	:	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है–

➢ COTPA-2003 को पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने तथा मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।

District Tobacco Control Cell, west Singhbhum

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत् सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 को जिले में अति प्रभावी ढग से लागु कराना अति आवश्यक है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 को जिले में अति प्रभावशाली बनाने हेतु प्रशासनिक स्तर से **अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था)**, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को विशेष नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। विशेष नोडल पदाधिकारी जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम– 2003 को जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिला [illegible] पदाधिकारी
सह जिला [illegible] पदाधिकारी
एन0टी0सी0पी0,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन0टी0सी0पी0
प0सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक.................... / पश्चिमी सिंहभूम दिनांक....................

प्रतिलिपि :– सभी नामित सदस्यों/सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य केन्द्र, जिला पश्चिमी सिंहभूम/जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पश्चिमी सिंहभूम / सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम जिला अर्न्तगत/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम/ सभी कार्यालय प्रधान, पश्चिमी सिंहभूम जिला अर्न्तगत/श्रम अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिमी सिंहभूम, जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, पश्चिमी सिंहभूम, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम / उप–विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम / पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन0टी0सी0पी0,
प0सिंहभूम, चाईबासा।

कार्यालय – जिला दण्डाधिकारी –सह – उपायुक्त पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2014 को जिला तम्बाकू नियत्रंण कोषांग,पश्चिमी सिहंभूम में जिला तम्बाकू नियत्रंण समन्वय समिति की बैठक में पत्रांक 22/NTCP दिनांक–05.06.2018 के द्वारा **जिला स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया गया जा चूँका है। जिसका कार्य सार्वजनिक स्थलों,सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र,शिक्षण संस्थानों,स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंधनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना** (रूपये 200/–) की कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता का सदस्य

1.	अपर समाहर्त्ता (विधि व्यस्था)–सह–विशेष नोडल पदा0,तम्बाकू नियत्रंण	अध्यक्ष
2.	आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय)	सदस्य
3.	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य
4.	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
5.	जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी	सदस्य
6.	औषधि निरीक्षक	सदस्य
7.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
8.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला स्वास्थ्य समिति)	सदस्य
9.	श्रम अधीक्षक, पश्चिमी सिहंभम	सदस्य
10.	संबंधित थानाध्यक्ष	सदस्य
11.	जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियत्रंण)	समन्वक

जिला नोडल पदाधिकारी, एनसी०डी० सेल पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा आदेश दिया जाता है कि चालान बुक तथा पचंनामा सम्बधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए, छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित कराना सुनिश्चित किया जाय।

1/4/19	1.4.19	1/4/19
जिला नोडल पदाधिकारी जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा	सिविल सर्जन पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा	उपायुक्त– सह– अध्यक्ष जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा।

ज्ञापांक 35/NTCP पश्चिमी सिंहभूम, दिनांक 01/04/2019

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी सिहंभूम /सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिमी सिहंभूम,/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियत्रंण समिति, पश्चिमी सिहंभूम,/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक पदाधिकारी ,आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पश्चिमी सिहंभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

1/4/19

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपिः— पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिहंभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपिः— आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, राज्य उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 पदा0क0विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

11/5/19

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन0टी0सी0पी0
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा।

Scanned by CamScanner

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2014 को जिला तम्बाकू नियत्रंण कोषांग,पश्चिमी सिहंभूम में जिला तम्बाकू नियत्रंण समन्वय समिति की बैठक में पत्रांक 23/NTCP दिनांक–05.06.2018 के द्वारा **अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया गया जा चूँका है। जिसका कार्य सार्वजनिक स्थलों,सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र,शिक्षण संस्थानों,स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंधनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना** (रूपये 200/–) की कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता का नाम :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी – अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी – सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी – सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी – सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय – सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष – सदस्य

संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को आदेश दिया जाता है कि चालान बुक तथा पचंनामा सम्बधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को निश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित कराना सुनिश्चित किया जाय।

जिला नोडल पदाधिकारी
जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा

सिविल सर्जन
पश्चिमी सिहंभूम चाईवासा

उपायुक्त– सह– अध्यक्ष
जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा।

ज्ञापांक ....38..../ NTCP(NCD) चाईबासा। दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पश्चिमी सिंहभूम/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/ सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0,/जिला शिक्षा पदाधिकारी/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त–सह– अध्यक्ष
जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – जिला दण्डाधिकारी –सह – उपायुक्त पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 25.02.2014 को जिला तम्बाकू नियत्रंण कोषांग,पश्चिमी सिंहभूम में जिला तम्बाकू नियत्रंण समन्वय समिति की बैठक में पत्रांक 23/NTCP दिनांक–05.06.2018 के द्वारा **प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते** का गठन किया गया जा चूँका है। जिसका कार्य सार्वजनिक स्थलों,सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र,शिक्षण संस्थानों,स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर **उल्लंघनकर्त्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना** (रूपये 200/–) की कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता का नाम :–

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	–	समन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	–	सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	–	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	–	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को आदेश दिया जाता है कि चालान बुक तथा पचंनामा सम्बधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापेमारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित कराना सुनिश्चित किया जाय।

जिला नोडल पदाधिकारी
जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा

सिविल सर्जन
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा

उपायुक्त– सह– अध्यक्ष
जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा।

ज्ञापांक 37 / NTCP(NCD) चाईबासा। दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी,/संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, पश्चिमी सिंहभूम/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0,/जिला शिक्षा पदाधिकारी/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त– सह– अध्यक्ष
जिला तम्बाकु नियंत्रण समिति
पश्चिमी सिहंभूम चाईबासा

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षिणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, अल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जाएगा। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

District Tobacco Control Cell, west Singhbhum

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश

पश्चिमी सिंहभूम जिला के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार *'धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है'*।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी
सह जिला नोडल पदाधिकारी
एन0टी0सी0पी0
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन0टी0सी0पी0
प0 सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक.................................. / पश्चिमी सिंहभूम दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचनें वाले दूकानदारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशासक, पश्चिमी सिंहभूम नगरपालिका पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम/ निदशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, पश्चिमी सिंहभूम / सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड सामुदायिक स्वाथ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वा0 केन्द्र एवं अति0 स्वा0 केन्द्र जिला पश्चिमी सिंहभूम / अधीक्षक, सदर अस्पताल पश्चिमी सिंहभूम /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पश्चिमी सिंहभूम /सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम / सभी सी0डी0पी0ओ0, पश्चिमी सिंहभूम /श्रम अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिमी सिंहभूम / जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, पश्चिमी सिंहभूम /असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन0टी0सी0पी0
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

District Tobacco Control Cell, west Singhbhum

उपायुक्त का कार्यालय, पाश्चमी सिंहभूम।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A नियमन सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर दुकान स्वामी द्वारा यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार से है :-

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी
सह जिला नोडल पदाधिकारी
एन0टी0सी0पी0,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन0टी0सी0पी0
प0सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक.................................. / पश्चिमी सिंहभूम दिनांक...............................

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पश्चिमी सिंहभूम / निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, पश्चिमी सिंहभूम / सिविल सर्जन, पश्चिमी सिंहभूम / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पश्चिमी सिंहभूम /सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम / जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /सभी सी0डी0पी0ओ0, पश्चिमी सिंहभूम / श्रम अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम / पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निदेशित किया जाता हैं कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वा0चि0 एवं शि0 प0क0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन0टी0सी0पी0,
प0सिंहभूम, चाईबासा।

District Tobacco Control Cell, west Singhbhum

तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू० तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्ट परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक महीने के समीक्षात्मक बैठक में इस तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तात्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी
सह जिला नोडल पदाधिकारी
एन०टी०सी०पी०
प० सिंहभूम, चाईबासा।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन०टी०सी०पी०
प०सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक__________ / पश्चिमी सिंहभूम,

दिनांक__________

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम /जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम पश्चिमी सिंहभूम /असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम एवं पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन०सी०डी० सेल, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वा०चि० एवं शि० प०क० विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त सह अध्यक्ष
एन०टी०सी०पी०
प०सिंहभूम, चाईबासा।

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश

धुम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्ट प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दिवार लेखन का निदेश दिया जाता है। जिस का प्रारूप निम्न प्रकार से है :–

तम्बाकू मूक्त शिक्षण संस्थान

"इस शैक्षणिक संस्थान परिसर के बाहर 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसका उल्लघंन एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें 200/–रूपये तक जुर्मान किया जा सकता है।"

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम ....
शिक्षण संस्थान का नाम ....

आदेशनुसार
जिला प्रशासन

60cmx 60 cm (*15cm+30cm+15cm*)

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का

District Tobacco Control Cell, west Singhbhum